सांप्रदायिक दंगों का महिलाओं पर असर

(सुश्री अन्नु, समता ग्राम सेवा संस्थान, पूर्वी लोहानीपुर की रपट के कुछ अंश)

बिहार में पिछले वर्ष हुए सांप्रदायिक दंगों से सारा जन-जीवन अव्यवस्थित हो गया। भागलपुर शहर से सुलगी आग 200 से भी अधिक गांवों में फैल गई, बस्तियां की बस्तियां कब्रगाह में बदल गईं। भागलपुर दंगों के फैलाने में दो अफवाहों का ख़ास हाथ रहा। एक, भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में लड़कों की सामूहिक हत्या। दो, सुंदरवती महिला कालेज के छात्रावास में लड़कियों के साथ बलात्कार एवं हत्या की खबरें। लोहरदगा में गाय को काटकर उसका ताज़ा खून दो हिन्दू लड़कियों पर फेंका गया—इस अफवाह से दंगे की आग भड़की।

अकसर एक संप्रदाय के लोग बदला लेने की आड़ में दूसरे संप्रदाय की स्त्रियों व बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसका बदला भी बहुत घृणित ढंग से लिया जाता है। दंगों के दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी गई। एक संप्रदाय द्वारा विरोधी संप्रदाय के खिलाफ़ दीवारों पर भद्दे नारे लिखने की परिपाटी भी शुरू हो गई है।

आतंक का माहौल

दंगा शुरू होने के पहले से ही औरतों को एक अनिश्चय और आतंक के माहौल से गुज़रना पड़ता है। कई बार उन्हें 'सुरक्षित स्थान' पर पहुंचा दिया जाता है। अपना घर छोड़ने का दुख और परेशानी उन्हें ही झेलनी पड़ती है। घर की पूरी जिम्मेदारियां पहले जैसी ही रहती हैं। कई बार लगता है कि वे औरतों की इज्ज़त बचाने के लिए नहीं बल्कि औरतों पर अपने शोषण के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं।

एक बार दंगा भड़क जाने पर पूरा इलाका काफ़ी लंबे अरसे के लिए अशांत हो जाता है। दंगे की चपेट में आए बिहार के उन तमाम इलाकों की महिलाएं आज भी डरी सहमी हैं। दंगों के दौरान गर्भ में पल रहे बच्चे से लेकर 102 साल की हसीना तक की हत्या की गई। वैश्याओं तक को नहीं बक्शा गया। बलात्कार का सिलसिला दंगों के बाद भी कायम रहा। अपने धर्म व संप्रदाय के लोग भी औरतों की मजबूरी का फायदा उठाने से नहीं चूकते। पुलिस की छापा-मारी अलग चलती रहती है। पुरुष सदस्यों को जेल में डाल देते हैं। कई बार सुरक्षा के बहाने पुरुषों को पकड़ ले जाते हैं। फिर औरतों के साथ यौन हिंसा की खुली छूट मिल जाती है।

कर्फ्यू जल्दी ही लोगों को दाने-दाने को मोहताज कर देता है। बेबसी के इस दौर की सज़ा औरतों को ज़्यादा झेलनी पड़ती है। बच्चे उन्हीं से खाना मांगते हैं। कर्फ्यू के दौरान बहुत सी औरतें रो-रोकर अपने बच्चों के लिए दूध मुहय्या कराने की प्रार्थना करती मिलीं।

दंगों के बाद

दंगों के बाद की चपेट में आई बहनें अस्पतालों या राहत शिविरों में जाती हैं। औरतें जली हुई या घायल अवस्था में महीनों अस्पताल में गुज़ारती

हैं। राहत शिविरों में जीवन नारकीय ही है।

बेवा और अनाथ महिलाओं की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है। पति के मरने से विधवाएं, बेटों के मरने से बेवा मांएं, भाइयों के मरने से कुंआरी बहने अनाथ सी हो जाती हैं। सरकार मोटे मुआवजे की घोषणा करती है, लेकिन उसे पाना इन लुटी हुई स्त्रियों के लिए लगभग असंभव सा होता है। मुआवज़ा पाने के लिए थाने में मौत की प्रथम सूचना रपट और मृतक की पोस्टमार्टम रपट ज़रूरी है। दंगों के दौरान कौन महिला पुलिस थाने जाने की हिम्मत करेगी? डर और आतंक के माहौल में परेशानियों से घिरी कौन महिला पति के शव का पोस्टमार्टम करवाएगी?

अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के बीच-बचाव से मुआवज़ा मिलना तय भी हो जाए तो रकम मिलना बहुत मुश्किल होता है। बिहार सरकार ने एक लाख रु. मुआवजा देने की घोषणा की थी। जिन्हें मिला भी है उन्हें केवल 40,000 रु., बाकी सरकारी और गैर-सरकारी बिचवइयों के हिस्से में गया। सैंकड़ों लोगों की जाने गई। मुआवजा अभी सिर्फ 9-10 लोगों को मिल पाया है। फर्ज़ी मुआवजों की पर्चियां भी तैयार कर ली जाती हैं। लोगों की हिफाजत के नाम पर दोनों संप्रदाय के लोग हथियार खरीदने के लिए अलग पैसे ऐंठते हैं। लापता को मरा हुआ साबित नहीं किया जा सकता।

सांप्रदायिकता के विरोध में धरना देने वाली महिलाओं पर पटना के गांधी मैदान में और गांधी सेतु पर पुलिस ने बर्बरता से लाठी-चार्ज किया। कई महिलाओं को गिरफ्तार किया।

सांप्रदायिकता का जहर मिटाने के लिए एक सामूहिक व संगठित प्रयास की ज़रूरत है। □